


22-6-22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वे इस प्रार्थन पत्र को जारी नहीं चलाना चाहते हैं। वे इस प्रार्थन पत्र को नोटिस में खासि करवाना चाहते हैं। ऐसे में यह प्रांप्त् लासहीन हो चुका है। लासहीन होने से प्रांप्त् नोटिस में खासि किया जाता है। अतः पत्रावली फेंजल बुका होस्ट नम्बर से कर हो एवं बाद तकमिल जाफ़ा दारिकल इफ़तर हो।

Not Press
h. f.


(एल. एस. कुठी)
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

